<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 04 / 2024 (उदयपुर आर्डर)</u>

1. दयालाल पुत्र धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रमेश पुत्र धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती लीला बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती शान्ति बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती सुशीला बाई पुत्री धनराज जी कलाल, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पंकज चौधरी पुत्र स्वर्गीय किशनलाल जी चौधरी, निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 03.07.2024, प्रकरण संख्या 100 / 21

–––/–––

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री सुरेश पुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

–––::–––

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 06–02–2025</u>**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तितरड़ी की आराजी नंबर 1971 रकबा 0.110 किस्म पाली 0.01[illegible]र, ह.तृ.पे.मु. 0.1000 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested

आरजी नंबर 1970 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म ह.तृ.पे.मु. तथा आराजी नंबर 3195/1971 रकबा 0.0300 किस्म ह.तृ.पे.मु. पर अप्रार्थीगण द्वारा मिट्टी का भराव डालकर चारदीवारी का निर्माण कर भूमि का स्वरूप बदल दिया है, जिससे पास स्थित जल भराव में बाधा उत्पन्न हो रही है। राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 1971 अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 से 9 के नाम तथा आराजी नंबर 3195/1971 अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगणों द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर दिये जाने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही की जावे।

विपक्षी संख्या 1, 5, 8, 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात उनके खतेदारी की भूमि है जो पूर्वजों के समय से चली आ रही है। भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वरन लागत लगाकर उपजाऊ बनाया है तथा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही है। विपक्षीगण की भूमि के बाद लगभग 15 फिट का रास्ता बना हुआ है और उसके बाद जल भराव क्षेत्र आता है तथा स्थानीय निवासियों द्वारा कभी भी कोई शिकायत नहीं की गयी है, किन्तु भूमि दलालों द्वारा भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर विपक्षीगण की भूमि हड़पने की गरज से झूठी शिकायत की गयी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–07–2024 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल करने तथा विवादित आराजियात राजसात लेने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 06–08–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि अपीलान्टगण के पूर्वजों के समय से चली आ रही है तथा विरासत से अपीलान्टगण को प्राप्त हुई है तथा उनके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है जो फोटोग्राफ्स से भी साबित होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलान्टगण उक्त कृषि भूमि के पश्चात् 15 फिट का रास्ता बना हुआ है उसके बाद जल भराव आता है, जिसे अपीलान्टगण ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलान्टगण के खातेदारी भूमि से लगती हुई अन्य व्यक्तियों एवं भूमि दलालों की भूमि है, जिससे भूमि दलालों द्वारा अपीलान्टगण की भूमि हड़पने की गरज से पटवारी हल्का से मिलकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में मनमाफिक रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका अपीलान्टगण द्वारा विरोध किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के अनुरूप निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मौका पर्चा अनुसार विवादित आराजियात पर मौके पर मिट्टी का भराव डालकर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर भूमि का स्वरूप बदला जाना स्पष्ट है, जो मौके के फोटोग्रॉफ्स से भी स्पष्ट होता है, जिसमें मौके पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वासरा सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग को लिखे पत्र से भूमि भूमि का स्वरूप परिवर्तित होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के आधार पर ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि को राजसात करने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03–07–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 06–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested